वार्षिक लेखे

2010–11

एवं

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2010–11

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (ए.यू.डी.)

वार्षिक लेखे

2010–11

एवं

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2010–11

संलग्नक-4

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली** के दिनांक 31-03-2011 के तुलन-पत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु उक्त संस्था द्वारा तैयार खाता बही में दर्ज आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति तथा भुगतान लेखा की जांच की, जो ठीक हैं।

हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जोकि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे। हमारी राय में उल्लिखित संस्था द्वारा खाता बही को उचित रखरखाव किया गया है जहां तक कि खाता बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

हमारी राय में लेखा शेड्यूल-VI (बी) के लिए नोट्स और हमें दी गई श्रेष्ठ सूचना के अधीन, उल्लिखित लेखा सत्य एवं पर्याप्त अलोकन देते हैं :

(i) दिनांक 31.03.2011 को उल्लिखित संस्था की परिस्थिति के तुलन-पत्र के मामले में और

(ii) दिनांक 31.03.2011 को समाप्त इसके लेखाकरण वर्ष के लाभ अथवा हानि के आय एवं व्यय लेखा के मामले में

दिनांक : 20.09.2011

स्थान : नई दिल्ली

कृते : एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स,
चार्टरित लेखाकार

महेंद्र गाँधी
एम. नं. 088396

भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय
द्वारका सेक्टर-9, दिल्ली-110 077

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

देयताएं	शेड्यूल	धनराशि रु. पै.	परिसंपत्तियां	शेड्यूल	धनराशि रु. पै.
अवितरित अनुदान आय एवं व्यय लेखा के अनुसार		39,947,929.00	स्थायी परिसंपत्ति	II	57,802,205.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	I	3,578,281.00	चालू परिसंपत्तियों तथा ऋणों एवं अग्रिम	III	43,526,210.00
पूंजीगत निधि		57,802,205.00			
कुल		**101,328,415.00**	**कुल**		**101,328,415.00**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20.09.2011

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

श्याम बी. मेनन(कुलपति)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

आशा आर. रुगटा(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय

द्वारका सेक्टर-9, दिल्ली-110 077

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय लेखा

व्यय	शेड्यूल	धनराशि रु. पै.	आय	शेड्यूल	धनराशि रु. पै.
स्थायी परिसंपत्तियां	II	21,848,142.00	गत वर्ष से अग्रनयन अवितरित अनुदान		45,610,564.00
प्रशासन लागत	IV	63,689,892.00	प्राप्त अनुदान		70,000,000.00
			फार्मों/प्रकाशनों/निविदा दस्तावेजों इत्यादि की बिक्री		246,070.00
			कार्यशाला/सम्मेलन से प्राप्ति		1,150,000.00
			पाठ्यक्रम शुल्क		6,728,785.00
तुलन-पत्र में ली गई अवितरित अनुदान		39,947,929.00	छात्रावास शुल्क		308,900.00
			एसएसआरएम उत्सव में भागीदारी हेतु शुल्क		73,000.00
			विविध प्राप्तियां		88,202.00
			बैंक ब्याज		
			सावधि जमा पर ब्याज		203,129.00
			बचत खाता पर ब्याज		1,077,313.00
कुल		125,485,963.00	कुल		125,485,963.00

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20.09.2011

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

श्याम बी. मेनन(कुलपति)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

आशा आर. रुगटा(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय
द्वारका सेक्टर-9, दिल्ली-110 077

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	शेड्यूल	धनराशि रु. पै.	भुगतान	शेड्यूल	धनराशि रु. पै.
आरंभिक नकद एवं बैंक शेष		41,728,586.00	स्थायी परिसंपत्तियां	II	21,848,142.00
प्राप्त अनुदान		70,000,000,.00	प्रशासन लागत	IV	61,373,305.00
सी.ई.सी.ई.डी.		146,858.00			
कार्यशाला से प्राप्तियां		1,150,000.00			
छात्रावास शुल्क		308,900.00			
एसएसआरएम उत्सव में भगीदारी हेतु शुल्क		73,000.00			
विविध प्राप्तियां		88,202.00			
फार्म/प्रकाशनों/निविदा दस्तावेजों की बिक्री		246,070.00			
पाठ्यक्रम शुल्क(निवल वापसी आदि)		6,728,785.00	कर्मचारियों एवं अन्य को अग्रिम भुगतान	V	22,044,130.00
अवधान धनराशि		504,000.00			
प्रतिभूति जमा		150,000.00	गत वर्ष की देयताओं का भुगतान		196,960.00
बैंक ब्याज			**अंत शेष**		
सावधि जमा पर ब्याज		203,129.00	हाथ रोकड़		20,799.00
बचत खाता पर ब्याज		1,077,313.00	बैंक शेष		16,921,507.00
कुल		**122,404,843.00**	**कुल**		**122,404,843.00**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20.09.2011

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

श्याम बी. मेनन(कुलपति)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

आशा आर. रुगंटा(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

अंतिम खातों का हिस्सा बनी शेड्यूल

शेड्यूल I - चालू देयताएं एवं प्रावधान

विवरण	धनराशि
प्रतिभूति जमा	369,675.00
ड्यूटीज एवं कर	37,944.00
प्रावधान	1,443,663.00
देय लेखापरीक्षा शुल्क	220,600.00
देए व्यय	668,184.00
अवधान धनराशि	674,000.00
देय मेस प्रभार	460.00
देय सीईसीईडी	163,755.00
कुल	**3,578,281.00**

शेड्यूल II - स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	दिनांक 01.04.2010 को सकल योग (ब्लॉक)	वर्ष(आय व्यय खाता में दशाई गई है) के दौरान परिवर्धन	दिनांक 31.03.2011 को सकल योग (ब्लॉक)
	धनराशि रु.	धनराशि रु.	धनराशि रु.
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	23,430,754.00	6,254,536.00	29,685,290.00
कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स	7,399,107.00	10,139,371.00	17,538,478.00
कार्यालय उपकरण	1,289,605.00	10,649.00	1,300,254.00
पुस्तकें	3,834,597.00	5,443,586.00	9,278,183.00
कुल	**35,954,063.00**	**21,848,142.00**	**57,802,205.00**

शेड्यूल III - चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम

विवरण	धनराशि
भाग-क चालू परिसंपत्तियां	
वसूलीयोग्य टी.डी.एस.	42,326.00
हाथ रोकड़	20,799.00
बैंक शेष	16,921,507.00
योग(क)	**16,984,632.00**
भाग-ख ऋण एवं अग्रिम	
विभागीय कार्य हेतु पीडब्ल्युडी को अग्रिम	25,310,770.00
कर्मचारियों को अग्रिम	1,162,970.00
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	10,338.00
अग्रदाय खाता	50,000.00
दूरभाष कनेक्शन हेतु डिपॉजिट	7,500.00
योग(क)	**26,541,578.00**
कुल	**43,526,210.00**

शेड्यूल IV - प्रशासन लागत

विवरण	धनराशि
वेतन	40,639,993.00
परिवहन भत्ता	37,312.00
विद्युत प्रभार	2,094,108.00
जल प्रभार	23,400.00
टेलीफोन तथा इंटरनेट	542,172.00
पोल प्रभार/अनुरक्षण/वाहन किराया	1,868,942.00
प्रतिभूति	2,117,625.00
मरम्मत एवं रखरखाव	433,369.00
कार्यालय आकस्मिकता	199,182.00
पुस्तकालय हेतु समाचार पत्र/अभिदान एवं आवधिक	3,863,815.00
विज्ञापन और प्रचार	2,394,138.00
प्रोफेशनल प्रभार(मानदेय)	573,018.00
प्रिंटिंग	710,120.00
स्वच्छता	1,622,958.00
परीक्षा संबंधी खर्च	59,832.00
लेखापरीक्षा शुल्क	165,450.00
छात्र स्वयंसेवी भुगतान	6,550.00
चिकित्सा संबंधी खर्च	337,147.00
सेमीनार/सम्मेलन/कार्यशाला/समारोह	1,970,455.00
परामर्श/पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम चयन	1,722,287.00
अनुबद्ध/विजिटिंग/अतिथि शिक्षक	822,872.00
बैठक संबंधी खर्च (सांविधिक निकाय)	161,146.00
क्षेत्र आधारित अधिगम(लर्निंग)	216,065.00
बैंक प्रभार	7,640.00
उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	51,493.00
सदस्यता खर्च	60,000.00
कर्मचारी कल्याण(एनपीएस हेतु अंशदान)	680,895.00
परिवहन खर्च	282,478.00
कुल	**63,689,892.00**
घटाए: देय खर्च	2,316,587.00
भुगतान किया गया प्रशासन लागत	**61,373,305.00**

शेड्यूल V - कर्मचारियों एवं अन्य को भुगतान किया गया अग्रिम

विवरण	धनराशि
सीपीडब्ल्युडी को अग्रिम	25,310,770.00
कर्मचारी सदस्यों को अग्रिम	1,162,970.00
आपूर्तिकताओं को अग्रिम	10,338.00
कर्मचारी को अग्रदाय	50,000.00
दूरभाष कनेक्शन हेतु डिपॉजिट	7,500.00
कुल	**26,541,578.00**
घटाएं : वसूलीयोग्य टीडीएस	42,326.00
सीपीडब्ल्युडी का अग्रिम	3,924,623.00
आपूर्तिकताओं का अग्रिम	10,338.00
कर्मचारी का अग्रिम	520,161.00
कुल	**4,497,448.00**
नकद भुगतान किया गया अग्रिम	**22,044,130.00**

शेड्यूल V - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा लेखा पर खातों के लिए नोट्स

(क) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

अनिवार्य लेखा मानकों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ प्रोद्भवन लेखांकन विधि पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के तहत खातों को तैयार किया जाता है।

2. राजस्व मान्यता

निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय का प्रोद्भवन आधार पर हिसाब रखा जाता है:

- विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क (फीस) और अन्य प्राप्तियों तथा सरकारी अनुदानों का प्राप्ति के आधार पर हिसाब रखा जाता है।
- जरनल्स के लिए भुगतान किए गए वार्षिक अभिदान को भुगतान- वर्ष में पूरी तरह से खर्च (चार्जड ऑफ) माना गया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

- स्थायी परिसंपत्तियों को लागत के रूप में दर्शाया गया है और खरीद के वर्ष में पूरी तरह से खर्च (चार्जड ऑफ) माना गया है।
- लाइसेंस के नवीकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेतु अभिदान, शुल्क भुगतान/खरीद के वर्ष में पूरी तरह से खर्च (चार्जड ऑफ) माना गया है।

4. अनुदान के लिए लेखाकरण

- सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को आय और व्यय खाते में प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2011

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

श्याम बी. मेनन(कुलपति)	**आशा आर. रुगंटा(वित्त नियंत्रक)**	**एम. वर्मा एंड एसोसिएट**
अम्बेडकर विश्वविद्यालय	**अम्बेडकर विश्वविद्यालय**	**चार्टरित लेखाकार**

(ख) लेखा पर टिप्पणियां (नोट्स ऑन एकाउंट)

1. वर्ष 2008-09 के दौरान एयर-कंडीशनर्स उपलब्ध कराने तथा उनके संस्थापन हेतु सी.पी.डब्ल्यु.डी को रु.15800000.00 के अग्रिम का भुगतान किया गया था। रु.11875377.00 को उनके दिनांक 07.04.2010 के पत्र के आधार पर उन्हें सौंपे गए कार्य के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान समायोजित किया गया है, तथापि, समायोजित की गई धनराशि हेतु ए.सी. की आपूर्ति एवं संस्थापन और बकाया रु.3924623.00 के शेष अग्रिम धनराशि हेतु बिल/सहायक विवरण की अभी तक प्रतीक्षा है। विश्वविद्यालय फाइनल बिल प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं, तथापि समान देयताओं की अनुपस्थिति में यदि वर्ष 2010-11 के दौरान सी.पी.डब्ल्यु.डी द्वारा संचालित कार्य में कोई वृद्धि परिवर्तनयोग्य है, इसलिए उपलब्ध नहीं है।
2. भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण इत्यादि के कारण कर्मचारी लाभों हेतु देयताओं को अभिनिश्चित तथा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3. मूल क्रय बीजक/बिलों वाली कुछ फाइलें जिनमें क्रय प्रस्तावों हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन/संस्वीकृत थी, गायब हैं उदाहरण (i) मेसर्स कोरपोरेट इनफोटेक से रु.2657970.00 के कंप्यूटर तथा उपकरणों की खरीद (ii) मेसर्स युनिल्हे एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से रु.332000.00 के यूपीएस की खरीद(iii) इनफ्लिब्नेट से रु.1025060.00 के सब्सक्रिप्सन्स एवं पिरिऑडिकल्स, तथापि बिलों की फोटो प्रतियां संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की गई तथा विभाग के भंडार से सामग्री की प्राप्ति की पुष्टि करा ली गई ।
4. लेखापरीक्षक द्वारा पाई तथा उल्लेख की गई विसंगतियों हेतु ब्याज और स्रोत पर कर कटौती न करने के कारण देयताएं तथा स्रोत पर कर कटौती न करने/कम कटौती करने हेतु जुर्माना सुनिश्चित तथा उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेखापरीक्षक द्वारा उल्लेख की गई विसंगतियों की संवीक्षा विश्वविद्यालय में प्रक्रियाधीन है और तदनुसार उचित दायित्व तय किया जाएगा।
5. उच्च शिक्षा निदेशालय से नयी पेंशन योजना(एन.पी.एस.) के लिए कर्मचारी तथा नियोक्ता का रु.656437.00 तथा रु.680895.00 के अंशदान सहित कर्मचारी देयताओं के अनुमोदन की प्रतीक्षा है, उपयुक्त प्राधिकारी को अभी धनराशि का प्रेषण किया जाना है। इस चरण में धन के प्रेषण न होने पर यदि कोई ब्याज/जुर्माना की धनराशि अभिनिश्चित नहीं हो सकती है, इसलिए उपलब्ध नहीं है।
6. कर्मचारी तथा अन्य के लिए अग्रिम लेखा समाधान के अधीन है और अपुष्टि है, विश्वविद्यालय की आय तथा चालू परिसंपत्तियों पर उतना ही परिणामी प्रभाव अभिनिश्चित नहीं करता है।
7. वर्ष 2009-10 के दौरान रु.42326.00 का कर लेखांकन कैनरा बैंक द्वारा एफडीआर पर ब्याज का भुगतान करते समय स्रोत पर गलत कटौती कर ली गई थी। विश्वविद्यालय को कर से छूट प्राप्त है और आय कर विवरणी भरना अपेक्षित नहीं है, तथापि उक्त धनराशि की वापसी के दावे हेतु हमने आय कर अधिनियम के तहत आय कर विवरणी फाइल करने के लिए विश्वविद्यालय के स्थायी लेखा नंबर के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया शुरु कर दी है।

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2011

श्याम बी. मेनन(कुलपति)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

आशा आर. रुगंटा(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित लेखापरीक्षा का हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"

This page has been Intentionally Left Blank

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2010–11

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय

आई.पी. स्टेट, ए.जी.सी.आर. भवन, नई दिल्ली- 110 002

सं. एस.एस.ए.1/अम्बेडकर/लेखा 2010-11/2014-15/ दिनांक : 10/8/15

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
'बी' विंग द्वितीय तल,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली 1100-54

विषय : वर्ष 2010-11 के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं इसके साथ वर्ष 2010-11 हेतु अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करता हूं। कृपया विधानमंडल में प्रस्तुत अंग्रेजी और हिंदी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रत्येक की दो प्रतियां इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए।

कृपया प्रमाणित लेखा तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने तक इन्हें ''गोपनीय'' समझा जाए।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
उप महालेखाकार(एस.एस.ए)

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

सं. एस.एस. 1/अम्बेडकर/लेखा 2010-11/14-15/105

1. कुलसचिव, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली – इस कार्यालय को प्रमाणित लेखा के हिंदी पाठ की 5 प्रतियां भेजने के अनुरोध सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (एबी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110 124

उप महालेखाकार(एस.एस.ए.)

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

हमने 31 मार्च, 2011 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(3) के अंतर्गत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संलग्न तुलन-पत्र, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

1. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रयोगों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि के संबंध में लेखा परीक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी.ए.जी.) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों(औचित्य और नियमनिष्ठा) एवं कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन संव्यवहारों लेखापरीक्षा टिपपणियां, यदि कोई हो, तो जांच रिपोर्ट/सी.ए.जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है।

3. **हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :**

i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा आईसीएआई द्वारा जारी आमतौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, विश्वविद्यालय द्वारा उचित खाता बही और अन्य संबंधित अभिलेखों (रिकार्डस) को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किया गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. इसके अलावा हम सूचित करते हैं :

ए. तुलनपत्र

स्थायी परिसंपत्तियां –शेड्यूल- II

कंप्यूटर तथा पेरीफेरल्स – रु. 175.38 लाख

वर्ष 2010-11 के दौरान उपर्युक्त में रु.5.93 लाख की खरीदी गई जिरॉक्स मशीन भी शामिल हैं , जिसे कार्यालय उपकरण के तहत दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप रु.5.93 लाख की कंप्यूटर और पेरीफेरल्स में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) तथा इतनी ही धनराशि की कार्यालय उपकरण में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

बी. सामान्य

क) तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार स्वायतत्त निकायों हेतु निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं किया गया था।

ख) अग्रिम रजिस्टर के अभाव में कार्यालय खर्च हेतु कर्मचारियों को भुगतान किए गए रु.11.63 लाख के अग्रिमों का सहायक (सब्सिडरी) अभिलेखों से लेखापरीक्षा का सत्यापन नहीं किया जा सका।

ग) पुस्तकालय के परिग्रहण(अस्सेसन) रजिस्टर में क्रय तथा परिग्रहण की गई पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को नहीं लिया गया है , इसलिए रु.92.78 लाख मूल्य की पुस्तकालय की पुस्तकों के मूल्य की सत्यता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

घ) परिसंपत्ति रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था, इसलिए रु.578.02 लाख मूल्य की परिसंपत्तियों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

ड.) टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा रु.7500/- को 'टेलीफोन हेतु प्रतिभूति जमा' शीर्ष के बजाय 'ऋण तथा अग्रिमों' के तहत दर्शाया गया।

च) एनपीएस निधि के लिए रु.13.40 लाख की देयता को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

छ) उपदान, छुट्टी नकदीकरण, इत्यादि के प्रति देयता को बीमांकिक आधार पर नहीं किया गया है।

ज) दिनांक 31.03.2011 के अनुसार कैनरा बैंक के खाता संख्या 2226 में रु.155.80 लाख अंत शेष(क्लोजिंग बैलेंस) दर्शाए गए हैं जबकि बैंक समाधान विवरण में इसे रु.155.58 लाख दर्शाया गया है। इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

सी. सहायता अनुदान

वर्ष 2010-11 के अनुसार विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा निदेशालय से रु.7.00 करोड़(रु.1.00 करोड़ 'पूंजीगत' और रु.6.00 करोड़ 'राजस्व') का सहायता अनुदान प्राप्त किया। यह पिछले वर्ष का अव्ययित बैलेंस रु.4.56 करोड़(रु.(-)0.60 करोड़ 'पूंजीगत'तथा रु.1.56 करोड़ 'राजस्व') था। इसकी वर्ष के दौरान रु.0.99 करोड़ की अपनी आय भी थी। रु.12.55 करोड़ की कुल प्राप्तियों के प्रति विश्वविद्यालय ने वर्ष की समाप्ति पर रु. 3.99 करोड़ ((-)रु.1.78 करोड़ 'पूंजीगत', रु.4.79 करोड़ 'राजस्व और रु.0.99 करोड़ की

आंतरिक प्राप्तियां) की अप्रयुक्त राशि को छोड़कर रु. 8.55 करोड़(रु.2.18 करोड़ 'पूंजीगत' और रु. 6.37 करोड़ 'राजस्व') उपयोग किए।

v. पिछले पैराग्राफो में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा जिसे इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया है, लेखा बही के अनुसार है।

vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियां तथा उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों में भारत में सामान्यतया: स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में सही एवं उचित मत दिया है।

क) जहां तक यह 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबधित है, और

ख) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अधिशेष(सरप्लस) से संबधित है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और
महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)

संलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** – चार्टेड अकाउन्टेंट तथा लेखापरीक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी द्वारा विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। विश्वविद्यालय की गतिविधियों के साइज एवं प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त तथा आनुपातिक है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** – विश्वविद्यालय की कोई भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी और वर्ष 2010-11 के दौरान किसी कार्य बल की तैनाती नहीं थी। विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**- वर्ष 2010-11 हेतु गैर-उपभोज्य/स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

4. **उपभोज्य/वस्तु सूची(इन्वेंटरी) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** - वर्ष 2010-11 हेतु वस्तु सूची(इन्वेंटरी)/उपभोज्य सामग्रियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

5. **सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता** - संस्थान द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान निर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय ने सांविधिक देय राशि का भुगतान किया।

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2010–11 पर पैरा वार कार्यवाही

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई

2010-2011	
ए. तुलन-पत्र जिरॉक्स मशीन हेतु भुगतान किए गए रु.5.93 लाख को ''कार्यालय उपकरणों'' के तहत दर्शाया नहीं गया था।	शीर्षों के वर्गीकरण को अब अर्थात् वर्ष 2015 से संशाधित कर दिया गया है और परिसंपत्तियों को भारत के सीएजी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
ए. सामान्य क. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार लेखा अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।	वर्ष 2014-15 के बाद से भारत के सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार लेखा तैयार किए जा रहे हैं।
ख. अग्रिम रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।	अग्रिम को रिकार्ड करने के लिए अग्रिम रजिस्टर बनाया जा रहा है तथा वर्ष 2011-12 से उसकी वसूली की निगरानी की जा रही है।
ग. पुस्तकालय के परिग्रहण रजिस्टर में पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को नहीं लिया गया है।	पुस्तकालय की पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू किया जाएगा।
घ. परिसंपत्ति रजिस्टर के रखरखाव का अभाव।	इसके बाद परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार किए गए हैं और अनुरक्षित किए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।
ङ. टेलीफोन कनेक्शन की प्रतिभूति को ''प्रतिभूति जमा'' के बजाए ''ऋण एवं अग्रिमों'' के तहत दर्शाया गया है।	परिशोधित कर लिया गया है । अब ''प्रतिभूति जमा'' के तहत दर्शाया जा रहा है।
च. एनपीएस निधियों को अलग दर्शाया जाना चाहिए।	अब निधियों को नवंबर, 2015 से संबंधित प्राधिकरण(एनएसडीएल) में जमा किया गया है।
छ. उपदान की देयता और छुट्टी नकदीकरण को बीमांकिक आधार पर नहीं किया गया है।	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक आधार पर गणना के अनुसार उपदान की देयता और छुट्टी नकदीकरण प्रदान किया गया।
ज. बैंक खाता के अनुसार आंकड़ों में अंतर है और इनका समाधान विवरण।	बाद में आंकड़ों में सुधार कर लिया गया है।

ए. सहायता अनुदान रु.3.99 करोड़ के अनुदान का उपयोग नहीं करना।	यह विश्वविद्यालय शुरू होने का आरंभिक वर्ष था और आबंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। इसलिए रु.3.99 करोड़ की अव्ययित शेष को अगले वित्तीय वर्ष तक ले जाया गया था।
संलग्नक 1. आंतरिक लेखापरीक्षा सिस्टम की पर्याप्तता।	तथ्यपूर्ण स्थिति। इसलिए कृपया कोई टिप्पणी नहीं।
2. आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की पर्याप्तता।	आंतरिक नियंत्रण सिस्टम को लागू किया गया और आंतरिक नियंत्रण विंग की स्थापना को मजबूत किया गया।
3. परिसंपत्ति रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया तथा उनका प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।	परिसंपत्ति रजिस्टर इसके बाद तैयार किए गए और अनुरक्षित किए जा रहे हैं।
4. वस्तु सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन।	प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।
5. सांविधिक देय धनराशि के भुगतान में नियमितता।	तथ्यपूर्ण स्थिति। इसलिए कृपया कोई टिप्पणी नहीं।

This page has been Intentionally Left Blank

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (ए.यू.डी.)
लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110 006
www.aud.ac.in